भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 202

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु उपाय

202. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक चुनौतियों के आलोक में आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित वित्तीय घाटे के लक्ष्य पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या राज्यों की परियोजनाओं में सुनम्यता को बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं को ध्यान मे रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। भारत की आर्थिक समुत्थानशीलता सुदृढ़ वृहद आर्थिक मूलभूत घटकों जैसे कि स्थिर विकास, मूल्य स्थिरता, विश्वसनीय राजकोषीय समेकन, बाह्य क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन, सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार, एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित ढंग से पूंजीकृत बैंकिंग क्षेत्र, और सुदृढ़ भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, भारत की सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली, विश्वसनीय मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण मुहिम और लचीली विनिमय दर अर्थव्यवस्था को उतार-चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाती है। व्यापार संबंधी तनाव, अनिश्चित पूंजी प्रवाह और भू-राजनीतिक जोखिमों जैसी हाल की वैश्विक चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में, सरकार सरकार आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है,

- भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने, इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निरंतर परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश में देश को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार के के रूप में स्थापित करने के लिए एक नई विदेश व्यापार नीति (2023) को अपनाने सहित विभिन्न निर्यात सुविधा उपाय;
- विभिन्न व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत करना;
- विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण;

- अनुपालन को सरल बनाने, डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई विधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाने के निरंतर प्रयास;
- स्थानीय विनिर्माण को सुदृढ़ करना, जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर फॉरवर्ड और बेकवर्ड लिंकेज प्रदर्शित करता है; और
- ऋण गारंटी योजनाएँ, इमरजेंसी लिक्विडिटी लाइंस और सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी उपायों में वृद्धि, ताकि प्रतिकूल प्रतिस्थितियों से निपटा जा सके और साथ ही ऐसी घटनाओं में कमज़ोर वर्गों की रक्षा की जा सके।

(ख): केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है। इस स्तर पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और न ही इसे उचित माना गया है।

(ग): सरकार राज्यों को उनकी समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, वित्त आयोग अनुदानों (स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य क्षेत्र, नए शहरों के विकास, साझा नगरपालिका सेवाओं, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए सहायता अनुदान, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता अनुदान सहित) और राज्यों को अनुदान तथा सहायता के अन्य रूपों के माध्यम से बहुआयामी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों की विशेष सहायता के लिए पूंजीगत व्यय एक एक प्रमुख साधन है, जिसके तहत पूंजीगत व्यय और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त मुक्त ऋण दिया जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस संबंध में 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया है। विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों हेतु स्वीकृति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत को अतिरिक्त ऋण सहित, बजट में विद्युत वितरण सुधारों और अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, बजट में राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता' कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान करना है।

***